उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग-2

संख्या-3/2016/770/30-2-2015-3(55)/13

लखनऊ: दिनांक-06 जुलाई, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनन्य रूप से चलायी जाने वाली दक्ष, पर्याप्त, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा की व्यवस्था करने की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित योजनाओं को प्रकाशित किया है।

और चूंकि राज्य सरकार नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिसूचना द्वारा स्तम्भ-3 में उल्लिखित अधिसूचित मार्गो में स्तम्भ-4 में उल्लिखित सीमा तक निजी संचालकों को अपनी मंजिली गाडियां चलाने की अनुज्ञा प्रदान करना आवश्यक समझती है।

और चूंकि राज्य सरकार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है।

अतएव अब, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन्, 1988) की धारा 102 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिसूचना द्वारा प्रकाशित अनुमोदित योजना में प्रत्येक के समक्ष उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मार्ग के संबंध में, स्तम्भ-4 के उल्लिखित सीमा तक उपान्तरों को लोकहित में करने का प्रस्ताव करते हैं और उस उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और प्रस्तावित उपान्तरों द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिए और उनसे अभ्यावेदन, यदि कोई हों, आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य काई व्यक्ति, जिसका प्रस्तावित उपान्तरण द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, अभ्यावेदन, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ को कर सकता है।

इस प्रकार इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई, सुनवाई प्राधिकारी जो विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-2 बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 10-08-2016 को अपरान्ह-03:00 बजे कक्ष संख्या- 231 में की जायेगी।

अनुसूची

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक जिसके द्वारा मार्ग अधिसूचित किया गया	अधिसूचित मार्ग का नाम जिसमें ,उपान्तरण प्रस्तावित है	प्रस्तावित उपान्तरण
1	2	3	4
1	763टी/30-708टी/1950, दिनांक 12.02.1951	महोबा-कुलपहाड-पनवाड़ी-राठ	महोगा-कुलपहाड़-पनवाड़ी-राठ अधिसूचित मार्ग के पनवाड़ी से राठ मार्गान्स पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ आवश्यकतानुसार निजी संचालकों का संचालन अनुमन्य होगा ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	3191ए/30-4(3)बी860 दिनांक 05.12.1960	राठ-पनवाड़ी-हरपालपुर	राठ-पनवाड़ी-हरपालपुर अधिसूचित मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ आवश्यकतानुसार निजी संचालकों का संचालन अनुमन्य होगा ।

आज्ञा से,
ह0
कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2016/770(1)/30-2-2015-3(55)/13] तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने और प्रकाशित समाचार पत्रों की पॉच-पॉच प्रति परिवहन अनुभाग-2 कक्ष संख्या-321 तृतीय तल बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-3/2016/770(2)/30-2-2015-3(55)/13] तददिनांक।

प्रतिलिपि, अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तरण की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रश्नगत अधिसूचना को सरकारी गजट (असाधारण) की विधायी परिविष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियॉ शासन के परिवहन अनुभाग-2 पत्र संख्या-321 तृतीय तल बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-3/2016/770(3)/30-2-2015-3(55)/13] तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
4- विधायी अनुभाग-1
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, झांसी एवं चित्रकूट धाम, बांदा सम्भाग (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- मंडलायुक्त, झांसी एवं चित्रकूट धाम, बांदा।
7- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, एक-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0
रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SARKAR
PARIVAHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No-3/2016/770 Dated 06-07-2016

NOTIFICATION

No-3 /2016/770 /XXX-2-2014-03(55)/13
Lucknow Dated: 06 July ,2016

Whereas, the State Government has published schemes mentioned in column-2 of the Schedule below under the Motor Vehicles Act, 1939 with a view to providing efficient adequate, economical and properly coordinated road transport services to be operated exclusively by the Uttar Pradesh State Road Transprot Corporation.

And whereas the State Government considers it nesessary to allow private operators to ply their stage carriages to the extent mentioned in column-4 on routes mentioned in column-3, notified vide notifications mentioned in column-2 of the Schedule below.

And whereas the State Government considers it nesessary in the public interest so to do.

Now therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 102 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) the Governor is pleased to in the public interest, make modification to the extent mentioned in column-4 of the Schedule below in the approved schemes published vide notifications mentioned in column-2 and in respect of routes mentioned against each in column-3 of the said Schedule and publishes the same as required under sub-section (2) of the said section for the information of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation and all persons likely to be affected by the proposed modification and with a view to inviting representations, if any, from them.

The Uttar Pradesh State Road Transport Corporation and any other person likely to be affected by the proposed modifications may

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

representations, if any, with in 30 days form the date of publication of this notification in the Gazette, to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Anubhag-2, Sachivalaya, Lucknow.

The representations received in this behalf will be heard by Hearing Authority Special Secretary, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Anubhag-2, Bapu Bhavan. Sachivalaya, Lucknow. on 10 Aug, 2016 at 03:00 pm in room no-231

Schedule

Sl.No	Notification number and date by which the route was notified	Name of the notified route in which the modification is proposed	Proposed modification
1	2	3	4
1	763T/30-708T/1950, dated 12-2-1951	Mahoba-Kulpahar-Panwari-Rath	The operation of private operators alongwith Uttar Pradesh State Road Transport Corporation shall be allowed as per need on Pnawari to Rath portion of the notified route Mahoba-Kulpahar-Panwari-Rath route.
2	3191A/30-4(3)B860, Dated 5-12-1960	Rath-Pnawari-Harpalpur	The operation of private operators alongwith Uttar Pradesh State Road Transport Corporation shall be allowed as per need on Rath-Pnawari-Harpalpur notified route.

By order,
sd/
Kumar Arvind Singh Deo
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।